न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 76/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

बजरंग प्रसाद पिता श्री जगन्नाथ जी जाति बैरवा आयु 67 वर्ष निवासी 150 बालाजी नगर रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

..............प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. भवानीलाल मेघवाल पिता श्री देवीलाल जाति मेघवाल आयु 60 वर्ष निवासी जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
2. रामलाल पिता श्री देवीलाल मेघवाल आयु 45 वर्ष निवासी जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
3. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

..........विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री रईस अहमद मंसूरी।**

दिनांकः– 08.06.2022

–:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा जालखेड़ा प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 85 खसरा संख्या 78, 79, 82, 83 कुल किता 04 कुल रकबा 1.5600 है0 भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 78, 79, 82, 83 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। पत्रावली पर अप्रार्थी संख्या 03 पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा जालखेड़ा प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 85 खसरा संख्या 78, 79, 82, 83 कुल किता 04 कुल रकबा 1.5600 है0 भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़